

प्रेषक:- प्रमुख सचिव,  
उ०प्र० शासन,  
भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग।

सेवा में,

- (1) आयुक्त एवं प्रशासक,  
शारदा सहायक कमांड एरिया परियोजना  
23, गोखले मार्ग, लखनऊ।
- (2) आयुक्त एवं प्रशासक,  
रामगंगा कमांड एरिया परियोजना,  
सिविल लाइन कानपुर।

पत्रांक.....<sup>858</sup>...../...../.....<sup>8(16)</sup>...../2011

दिनांक.....<sup>01/09/2011</sup>.....

विषय:- आई०डब्ल्यू०एम०पी०-एम०आई०एस० प्रशिक्षण का आयोजन।

महोदय,


भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में आई०डब्ल्यू०एम०पी० योजना की मानीटरिंग हेतु भारत सरकार द्वारा विकसित आई०डब्ल्यू०एम०पी०-एम०आई०एस० का प्रशिक्षण दिनांक 8 एवं 9, सितम्बर 2011 को प्रातः 9:00 बजे से सांय 6:00 बजे का आयोजन उ०प्र० पर्यटन विकास निगम लि०, सी०-13, विपिन खण्ड, (फन रिपब्लिक माल के निकट) शहीद पथ, गोमती नगर, लखनऊमें स्थित प्रेक्षाग्रह में किया जायेगा, जिसमें भारत सरकारकेवरिष्ठ अधिकारी गण प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।  
प्रशिक्षण का कार्यक्रम निम्न प्रकार है:-

दिनांक	सहभागी अधिकारियों / कर्मचारियों का विवरण	संख्या
08.09.2011	1. रामगंगा कमाण्ड परियोजना के अधीन बुन्देलखण्ड मंडल में 44 भूमि संरक्षण इकाईयों में कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी	1. उ०नि०- 3 2. भू०सं०अ०- 44 3. डाटा इन्ट्री आ०- 44 4. एक्सपर्ट कृषि- 44
	2. कृषि विभाग के अधीन बुन्देलखण्ड मंडल में 22 नामित भूमि संरक्षण इकाईयों में कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी	1. भू०सं०अ०- 22 2. डाटा इन्ट्री आ०- 22
		योग- 179
09.09.2011	1. रामगंगा कमाण्ड के अधीन शेष अन्य जनपदों / मंडलों में भूमि संरक्षण इकाईयों में कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी	1. उ०नि०- 6 2. भू०सं०अ०- 18 3. डाटा इन्ट्री आ०- 18 4. एक्सपर्ट कृषि- 18
	2. शारदा सहायक कमाण्ड के अधीन मंडल / जनपदों में भूमि संरक्षण इकाईयों में कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी	1. उ०नि०- 8 2. भू०सं०अ०- 36 3. डाटा इन्ट्री आ०- 36 4. एक्सपर्ट कृषि- 45
		योग- 185

प्रशिक्षण में सभी सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी दिनांक 08.09.2011 को प्रातः 9:00 बजे प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थित होकर पंजीकरण कराकर प्रशिक्षण में भाग लेंगे -इसी प्रकार दिनांक 09.09.2011 को प्रशिक्षण में भाग लेने वाले अधिकारी/कर्मचारी दिनांक 09.09.2011 को प्रातः 9.00 बजे प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थित होकर पंजीकरण कराकर प्रशिक्षण में भाग लेंगे। समस्त नामांकित अधिकारी अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण में भाग लेंगे।

अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु सूचना दे दी जाए तथा समस्त की उपस्थिति सुनिश्चित की जाये। कमाण्ड परियोजनाओं के परियोजना प्रशासक अपर प्रशासक, मुख्य वित्तीय सलाहकार, उपनिदेशक मुख्यालय एवं लेखाधिकारी भी कृपया प्रशिक्षण में भाग लें।

भवदीय


  
(योगेश कुमार)  
प्रमुख सचिव

पत्रांक..... 85841 / 54-1-11 / 8(16)/2011

दिनांक.....

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 1— प्रमुख सचिव कृषि विभाग उ0प्र0 शासन लखनऊ।
- 2— कृषि निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृषि विभाग के अधीन बुन्देलखण्ड में 22 भूमि संरक्षण इकाईयों में कार्यरत भूमि संरक्षण अधिकारियों/कम्प्यूटर आपरेटर को प्रशिक्षण में अनिवार्य रूप से भाग लेने हेतु सूचना दे दी जाये तथा उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।
- 3— मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस0एल0एन0ए0 एवं डाटा सेल, 23, गोखले मार्ग लखनऊ।
- 4— सूचना अधिकारी, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उ0प्र0 को उक्त सूचना के प्रकाशन हेतु तथा 08-09 सितम्बर 2011 को प्रशिक्षण आयोजन के कवरेज हेतु।

  
(योगेश कुमार)  
प्रमुख सचिव